राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(615)नविवि / 3 / 2009 जयपुर, दिनांकः – 8 DEC 2011

आयुक्त / सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर /
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

आयुक्त / सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

अध्यक्ष / सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

महापौर / अध्यक्ष,
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका,
समस्त।

मुख्य कार्य0 अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका,
समस्त।

विषयः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 4.1.2010 द्वारा स्थानीय निकायों के स्तर पर भूमि आवंटन पर रोक के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.01.2010 की निरन्तरता में निर्देशानुसार लेख है कि सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं इत्यादि को भूमि आवंटन नहीं करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। चूंकि अब विभागीय पत्र क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 दिनांक 19.04.2011 द्वारा नवीन आवंटन नीति प्रभावी हो चुकी है, अतः अब स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / न्यास / आवासन मण्डल स्तर पर आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटन हेतु ही रोक लागू रहेगी व इन प्रकरणों का निस्तारण विभागीय नीति दिनांक 19.4.2011 के अन्तर्गत किया जावेगा।

भवदीय,

5/12/2011

(एन.एल.मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय